

CERTIFICATE - 1 (प्रमाण पत्र-1)

अनुसूचित जाति/जनजाति (UPSC/UPST/GDSC/GDST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु० पुत्र/पुत्री श्री
निवासी गाँव/शहर तहसील जिला
प्रदेश का जन्म जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति
आदेश (संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन
सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी / अतिरिक्त जिला अधिकारी /

सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार